

**न्यायालय:- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-53 ए/2013

संस्थापन दिनांक-24.09.2013

फाईलिंग क्र.234503003942013

रामू पिता भादू, उम्र-70 वर्ष, जाति कलार,
निवासी-ग्राम हर्राभाट, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **वादी**

विरुद्ध

1-बुधराम सोनेकर पिता ढोलीसाव सोनेकर, उम्र-55 वर्ष, जाति कलार
निवासी-ग्राम हर्राभाट, तहसील परसवाड़ा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **प्रतिवादीगण**

-: / / निर्णय / / :-

(आज दिनांक-18/09/2015 को घोषित)

1- वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा हर्राभाट प. ह.नं 12/34, रा.नि.मं. मझगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-62/26, रकबा 0.134 हेक्टेयर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर स्वत्व की घोषणा एवं उक्त भूमि में हस्तक्षेप से रोकने प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत कुछ नहीं है।

3- वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादी की खानदानी भूमि है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का कोई सरोकार नहीं है। वादी के आधिपत्य वाली उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अवैध रूप से

निर्माण कार्य करने के आशय से दिनांक-22.08.2013 को निर्माण सामग्री डलवा दी गई, जिस पर वादी के मना करने पर प्रतिवादी क्रमांक-1 विवाद करने पर आमादा हो गया। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा वादी के हक व आधिपत्य की भूमि पर जबरन मकान निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। वादी ने विवादित भूमि पर उसके स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 को हस्तक्षेप से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

4- प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए जवाबदावा में अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 लगभग 20 वर्ष से वादी के कब्जे वाली भूमि से लगी हुई सरकारी भूमि पर मकान बनाकर उस पर छोटी सी दुकान चलाते हुए अपना जीविकोपार्जन करते चले आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी की सरकारी भूमि पर बनाई गई दुकान के एवज में वादी को 600/-रुपये अदा कर एक रसीद भी लिखाई है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के आधिपत्य वाले मकान के संबंध में विवाद करने पर गांव में दिनांक-04.02.2008 को मीटिंग बुलाया, जिस पर लोगों की समझाईश देने पर प्रतिवादी क्रमांक-1 की दुकान में वादी के द्वारा दखल न देना स्वीकार किया गया है। उसके बाद पुनः वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 की भूमि के संबंध में विवाद किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा वादी के भूमि स्वामी हक की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 एकपक्षीय है तथा उसकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।

6- उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा हर्राभाट पटवारी हल्का नंबर 12/34 रा. नि.मं. मजगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 62/26, रकबा 0.134 हेक्टेअर भूमि पर वादी को स्वत्व प्राप्त है ?	प्रमाणित
2	क्या वादी उक्त विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण

7— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर उसका स्वत्व है। वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख खसरा फार्म वर्ष 2012 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 पेश की है, जिसमें खसरा नंबर 62/26, रकबा 0.134 हेक्टेअर भूमि पर वादी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। स्वयं प्रतिवादी क्रमांक-1 की ओर से भी उक्त राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-9 पेश की गई है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसके अलावा न्यायालय के आदेशानुसार विवादित भूमि व उससे लगे हुए प्रतिवादी क्रमांक-1 के मकान के संबंध में कमिश्नर नियुक्त कर स्थानीय अन्वेषण कराए जाने पर कमिश्नर राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रदर्श डी-12, प्रदर्श डी-13 में भी विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य होने की पुष्टि की गई है।

8— प्रकरण में वादी रामू (वा.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में विवादित भूमि उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की होना बताया है, जिसका प्रतिवादी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी का विवादित भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य के संबंध में अपने अभिवचन में भी विशिष्टतः इंकार नहीं किया है। विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का खण्डन न होने से यह तथ्य

प्रमाणित होता है कि विवादित भूमि पर वादी को स्वत्व प्राप्त है। इस प्रकार वादप्रश्न क्रमांक-1 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण

9— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर उसके आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा स्थानीय अन्वेषण किये जाने हेतु नियुक्त कमिश्नर राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, पंचनामा एवं उसकी मौखिक साक्ष्य महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है।

10— राजस्व निरीक्षक जगदीश प्रसाद (प्र.सा.3) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि न्यायालय के आदेश पर उसने दिनांक-18.12.2014 को मौजा हर्राभाट में वादग्रस्त भूमि की जांच करने गया था। उसके द्वारा जांच के पूर्व वादी व प्रतिवादी क्रमांक-1 व गांव के पटेल कोटवार को सूचना उपरांत उनकी उपस्थिति में उसके साथ हल्का पटवारी राजस्व रिकार्ड लेकर उपस्थित थे, उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि 62/26, रकबा 0.134 हेक्टेअर का मौका निरीक्षण किया गया एवं उससे लगी शासकीय आबादी भूमि का खसरा नंबर 62/16, 14, 17, 87, 92 रकबा 3.997 हेक्टेअर का नाप कर जांच किया। जांच में वादी की खसरा नंबर 62/26 पर उसका कब्जा, जिसमें उसका मकान व शेष भूमि पर राई की फसल पाई थी। शासकीय आबादी भूमि पर प्रतिवादी का 8 गुणा 12 का मकान पाया गया। उसने स्थल निरीक्षण के दौरान प्रतिवेदन प्रदर्श डी-12, पंचनामा प्रदर्श डी-13, नजरीनक्शा प्रदर्श डी-14 एवं नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-15 तैयार किया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा तैयार पंचनामा में वादी के हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी का स्वतः कथन है कि वादी मौके से भाग गया था, उसने पंचनामे में गवाहों के हस्ताक्षर कराए हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में वादी पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। कमिश्नर की उक्त कार्यवाही का समर्थन दुआदास (प्र.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार कमिश्नर राजस्व निरीक्षक द्वारा विवादित भूमि एवं उससे लगे प्रतिवादी के मकान, जो शासकीय आबादी भूमि पर होना बताया, का स्थानीय अन्वेषण कर प्रतिवेदन प्रदर्श डी-12, पंचनामा प्रदर्श डी-14 विधिवत् तैयार किया जाना प्रमाणित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य भी

प्रकट होता है कि वादी की विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा शासकीय आबादी भूमि पर मकान बनाया गया है, जो वादी की विवादित भूमि से लगी हुई है।

12— वादी रामू (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके मकान से लगी हुई सरकारी भूमि है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिवादी क्रमांक-1 बीस साल पहले से सरकारी भूमि में छोटा सा मकान बनाकर, दुकान लगाकर निवास करते रहा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिवादी के मकान की एक दिवार उसकी बाड़ी की साईड की तरफ बारिश में गिर जाने से उक्त दिवार की मरम्मत हेतु प्रतिवादी ने रेत, ईंट, गिट्टी की सामग्री लाकर गिराया था और दिवार मरम्मत करने के दौरान प्रतिवादी से विवाद हुआ था। इस प्रकार साक्षी के उक्त कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 का मकान उसकी भूमि पर न होकर उसकी भूमि से लगी शासकीय भूमि पर स्थित है और मकान की दिवार की मरम्मत करने पर से वादी का प्रतिवादी क्रमांक-1 से विवाद प्रारंभ हुआ।

13— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी की विवादित भूमि या उससे लगी वादी के आधिपत्य वाली भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-1 का वादी की भूमि से लगी हुई शासकीय आबादी भूमि पर कई वर्षों से मकान व दुकान बनाकर आधिपत्य में होना प्रकट होता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के आधिपत्य की उक्त भूमि पर वादी को कोई हक प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के आधिपत्य वाली भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 से बेहतर हक होना साबित नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के आधिपत्य की शासकीय भूमि होने से शासन को विधिवत् कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु उक्त भूमि पर वादी को वाद लाने का अधिकार होना प्रकट नहीं होता है। वादी के आधिपत्य व स्वत्व की विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-2 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

14— वादी ने विवादित भूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित किया है, किन्तु उसकी भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 के द्वारा अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं किया है। इस प्रकार वादी ने वाद अंशतः प्रमाणित किया है। अतएव वाद में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :—

(1) वादी को मौजा हरभाट पटवारी हल्का नंबर 12/34 रा.नि.मं. मजगांव, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 62/26, रकबा 0.134 हेक्टेअर भूमि पर स्वत्व प्राप्त है।

(2) वादी का प्रतिवादी क्रमांक—1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा निरस्त किया जाता है।

(3) वादी स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर